


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>अपील संख्या 21/20 मूर्ति श्री लक्ष्मन जी बनाम अनिल</u>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
20.11.23	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट उपस्थित नहीं और ना ही उनकी ओर से कोई वकील अथवा प्रतिनिधि उपस्थित आये। अपीलान्टस को कई बार आवाजे दिलवायी गई किन्तु वे उपस्थित नहीं आये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह जहिर है कि यह पत्रावली राजस्व ग्रुप-6 विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 की पालना में भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के पत्रांक 834 दिनांक 8.1.2020 से इस न्यायालय को प्राप्त हुई। इस न्यायालय में नियमानुसार पत्रावली दर्ज की गई एवं रैस्पोंड एवं तहत पत्रावली तलबी में विचाराधीन रही। दिनांक 24.9.20 से 7.2.2023 तक वकील अपीलान्ट प्रकरण में निरन्तर उपस्थित रहे है। अचानक गतादेशिका दिनांक 7.2.23 की रोशनी में वकील अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में पैरवी से इन्कार करते हुये कोई सूचना अथवा हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया गया। ऐसी स्थिति में वकील अपीलान्ट की कोताही से किसी हितबद्ध पक्षकार के हित प्रभावित न हो इसी न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की न्यायिक मंशा के मध्यनजर अपीलान्टस को कार्यालय स्तर से नोटिस क्रमांक 182 दिनांक 10.2.23 जारी किये गये। इसके बाद पुनः नोटिस क्रमांक 601 दिनांक 12.7.23 जारी किये गये किन्तु अपीलान्टस नियत दिनांक को उपस्थित नहीं आये। इस प्रकरण को न्यायालय हाजा में दर्ज हुये करीब 3-4 साल का एक लम्बा अर्सा व्यतीत हो चुका और अचानक दिनांक 7.2.23 को उनके वकील के द्वारा पैरवी से इन्कार किया गया। इस पर कार्यालय स्तर से उनको नोटिस भी जारी किये गये। स्वयं आदालत हाजा द्वारा काफी प्रयास किये जाने के उपरान्त भी अपीलान्टस का नियत दिनांक को उपस्थित नहीं आना, अपीलान्टस की ओर से या उनके वकील के द्वारा न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति हेतु दायित्वों का निर्भहन नहीं करना अपीलान्टस की अपील को आगे नहीं चलाये जाने की मंशा को जाहिर करता है। जबकि यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि अपने वाद को सिद्ध करने का पूर्ण-रूपेण दायित्व वादी का ही रहता है। आज भी अपीलान्ट को कई बार, बार-बार आवाजें दिलवायी गई किन्तु वे उपस्थित नहीं आये। उनका नियत दिनांक को बाबजूद सूचना उपस्थित न होना लम्बे समय से प्रकरण में कोई विधिवत पैरवी नहीं किया जाना उनकी प्रकरण को आगे न चलाये जाने की मंशा को दर्शाता है लिहाजा यह अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।</p> <p style="text-align: right;">  संभागीय आयुक्त भरतपुर </p>	